न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—96/2023/75 एल.आर.एक्ट (2023/96)

1. गुलाबी पत्नि नौरत
2. राजू पुत्र नौरत
3. ग्यारसीलाल पुत्र नौरत
4. मंगलचंद पुत्र नौरत
5. कमला पुत्री नौरत समस्त जातिगण माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. हनीफ पुत्र हमीद खां (फौत जरिए वारिसान)
   1/1 बाया पत्नि हनीफ
   1/2 नफीस पुत्र हनीफ
   1/3 फरजाना पुत्री हनीफ
   1/4 शमीना पुत्री हनीफ
   1/5 परवीना पुत्री हनीफ
   1/6 सना पुत्री हनीफ
   1/7 रिजवाना पुत्री हनीफ
   समस्त जातिगण मुसलमान निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. मुस्ताक अली पुत्र ईदू खां
3. बून्दू पुत्र ईदू खां
4. मेम पुत्री ईदू खां
5. नजमा पुत्री ईदू खां जातिगण मुसलमान निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश के विरूद्ध अपील बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 6 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—02.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर की भूमि पुराने चौसाला एवं वर्किंग जमाबंदी एवं हाल जमाबंदी अनुसार आराजीयात पर चौसाला पुराने खसरा नम्बर 2924 रकबा 13—3—10 व 478 रकबा 9—6—0 की भूमि पर अपीलांट के पूर्वज रामचन्द्र वल्द कल्याण माली का संवत 2039, 2042, 2027, 2028 एवं खसरा परिवर्तनशील एवं संवत 2027 से 30 खसरा गिरदावरी एवं संवत 2038 खसरा गिरदावरी में रामचन्द्र पुत्र कल्याण माली का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा था तथा वर्तमान में मौके पर रामचन्द्र के वारिसान अपीलांटगण का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है को खातेदारी हेतु राजस्व न्यायालय नसीराबाद में वाद पेश किया गया जो विचाराधीन है किंतु उपरोक्त आराजीयात चौसाला जमाबंदी पुराने खसरा नम्बर 2924, 478, 483 के बने वर्किंग नवीन खसरा नम्बर 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3099 का रेस्पोडेंटगण के पूर्वज ईदू व हमीद पुत्रगण शाहनूर खां निवासी ग्राम रामसर के नाम विधि विरूद्ध तरीके से उपजिला अधिकारी अजमेर से दिनांक 8.7.1984 को दावाकृत भूमि आवंटन किया गया। तत्पश्चात वर्तमान जमाबंदी में बने हाल खसरा नम्बर 3222 रकबा 0.21, 3222/10097 रकबा 0.10, 3200/10194 रकबा 0.02, 3200 रकबा 0.99 को आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 से अपने नाम करा लिया गया तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व न्यायालय में खातेदारी एवं इन्द्राज दूरूस्ती का वाद संख्या 151/2016 प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है तत्पश्चात रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 15.1.2023 को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी गई। तत्पश्चात वर्तमान राजस्व रेकार्ड की नकल एवं आवंटन आदेश दिनांक 16.2.2023 को प्राप्त कर अविलंब आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 के लिए अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.1984 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि न्यायलय में अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील बाबत् प्रस्तुत की गयी है। विवादित भूमि ग्राम रामसर में स्थित है के पुराने चौसाला जमाबंदी पुराने खसरा नम्बर 2924, 478,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

483 के बने वर्किंग नवीन खसरा नम्बर 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3099 के वर्तमान जमाबंदी में बने हाल खसरा नम्बर 3222 रकबा 0.21, 3222/10097 रकबा 0.10, 3200/10194 रकबा 0.02, 3200 रकबा 0.99 अपीलांट के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र कल्याण जाति माली का संवत 2039, 2042, 2027, 2028 एंव खसरा परिवर्तनशील एंव संवत 2027 से 30 खसरा गिरदावरी एंव संवत 2038 खसरा गिरदावारी में रामचन्द्र पुत्र कल्याण माली का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा था तथा वर्तमान में मौके पर रामचन्द्र के वारिसान अपीलान्टगण का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक की जाने से अपीलार्थी की कब्जे व आधिपत्य की भूमि को दिनांक 8.7.1984 को आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज ईदू व हमीद पुत्रगण शाहनूर खां के नाम की गयी आवंटन करने की किसी प्रकार की सुचना या प्रकाशन नही किया गया तथा नियमानुसान आवंटन नियमन के लिय उदघोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक था तथा नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किया गया केवल मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियम से आवंटन एवं नियमन के पात्र अपीलान्ट के पूर्वज की कब्जा काश्त की अनदेखी करते हुऐ आवंटन/नियमन किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी काश्त की गयी है जबकि अपीलार्थी एवं उसका परिवार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे आवंटन आदेश को निरस्त कराने के लिये कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुमति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 384, आरबीजे 2001 पेज 313 न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट के पूर्वज का रेस्पोडेंट के पूर्वज ईदू खां व हमीद को आवंटित आराजी पर निरंतर कब्जा रहा हो तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा ईदू को हमीद को आवंटन गलत रूप से कर दिया गया हो तथा अपीलार्थी व उसके परिवार का आज दिनांक तक भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त हो। रेस्पोडेंट ने अपीलांट को दिनांक 15.1.2023 को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी हो जबकि सत्यता यह है कि रेस्पोडेंट का उनके पूर्वजों को आवंटन के समय से ही विवादित आराजी पर वंशानुक्रम में निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है। जबकि अपीलांट कभी भी विवादित आराजी पर काबिज नहीं रहे। किसी भी आदेश में अपील में धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन अर्थात व्यथित द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी आवंटन या नियमन को अपील के माध्यम से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व्यथित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा आरआरडी 1987 पेज 419 में राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया है कि आवंटन/नियमन के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के तहत व्यथित व्यक्ति वही होता है। जिसके द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन हेतु कोई आवेदन 1970 के नियम 20 के तहत लंबित हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी से यही साबित होता है कि रामचन्द्र पुत्र कल्याण एक अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिज है जिसने आवंटन या नियमन हेतु आवेदन नहीं किया जबकि आरआरडी 1989 पेज 438 में राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया है Land in possession of trespasser who has not applied either for allotment or regularization is vacant land available for allotment. अपीलांट के पूर्वज के विवादित आराजी के संबंध में आवंटन या नियमन के आवेदन के अभाव में अपीलांट व्यथित व्यक्ति ना होकर सिर्फ शिकायती है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आरआरडी 1995 पेज 697 में प्रतिपादित किया है कि complainant is only an informant complainant is not an aggrieved person and therefore has not right of appeal. अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपजिला अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96-*** *when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम रामसर में स्थित है के पुराने चौसाला जमाबंदी पुराने खसरा नम्बर 2924, 478, 483 के बने वर्किंग नवीन खसरा नम्बर 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3099 के वर्तमान जमाबंदी में बने हाल खसरा नम्बर 3222 रकबा 0.21, 3222/10097 रकबा 0.10, 3200/10194 रकबा 0.02, 3200 रकबा 0.99 अपीलांट के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र कल्याण जाति माली का संवत 2039, 2042, 2027, 2028 एंव खसरा परिवर्तनशील एंव संवत 2027 से 30 खसरा गिरदावरी एंव संवत 2038 खसरा गिरदावारी में रामचन्द्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पुत्र कल्याण माली का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा था तथा वर्तमान में मौके पर रामचन्द्र के वारिसान अपीलान्टगण का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक की जाने से अपीलार्थी की कब्जे व आधिपत्य की भूमि को दिनांक 8.7.1984 को आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज ईदू व हमीद पुत्रगण शाहनूर खां के नाम की गयी आवंटन करने की किसी प्रकार की सुचना या प्रकाशन नही किया गया तथा नियमानुसान आवंटन नियमन के लिय उदघोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक था तथा नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किया गया केवल मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियम से आवंटन एवं नियमन के पात्र अपीलान्ट के पूर्वज की कब्जा काश्त की अनदेखी करते हुऐ आवंटन/नियमन किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी काश्त की गयी है जबकि अपीलार्थी एवं उसका परिवार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे आवंटन आदेश को निरस्त कराने के लिये कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुमति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 की जानकारी अपीलांट को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्य 151/2016 प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है तत्पश्चात रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 15.1.2023 को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी गई तथा कहा कि जमीन हमारे वर्ष 1984 में ही आवंटन हो रखी है के पश्चात आवंटन आदेश की नकल दिनांक 17.1.2023 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक 16.2.2023 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की गई तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा मौके पर दिनांक 15.1.2023 को मौके से बेदखल करने की धमकी दी तब हुई जो अपील जानकारी से अविलंब अंदरमियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 37 एच0सी, आरआरडी 1998 पेज 525, आरआरडी 1998 पेज 319 एच0सी न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को दिनांक 5.1.2023 को जमीन से बेदखल करने की धमकी व आवंटन होने की बात कहीं गई है जबकि सत्यता यह है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है जो आज दिनांक तक निर्विवाद चला आ रहा है जबकि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को हैरान व परेशान करने के लिए उपरोक्त अपील पेश की गई है तथा अपीलांट द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में दावा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का रेस्पोडेंट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष वर्ष 2016 से विचाराधीन है। उक्त दावे के पेज संख्या 3 की 17 वीं लाईन में अपीलांट द्वारा स्वीकृत किया गया है कि ईदू खां व हमीद के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

शून्य नियमन अंकन किया गया है। अतः अपीलांट को वर्ष 2016 से ही उक्त नियमन एवं आवंटन वर्ष 1984 की जानकारी थी। 40 वर्ष पश्चात एक आवंटन को निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत अपील एवं विलंब के स्पष्ट कारणों के अभाव के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आधारों पर निरस्त करना या आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा आरआरडी 1993 पेज 596 में कहा गया है कि एक दीर्घ अवधि के उपरांत आवंटी का आवंटन खारिज करना व बेदखल करना न्यायसंगत नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.1984 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 9.3.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 8.7.1984 की जानकारी अपीलांट को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्य 151/2016 प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है तत्पश्चात रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 15.1.2023 को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी गई तथा कहा कि जमीन हमारे वर्ष 1984 में ही आवंटन हो रखी है के पश्चात आवंटन आदेश की नकल दिनांक 17.1.2023 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक 16.2.2023 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की गई तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा मौके पर दिनांक 15.1.2023 को मौके से बेदखल करने की धमकी दी। इसके पश्चात अपीलांटगण को उक्त आदेश दिनांक 8.7.1984 की जानकारी हुई। इस संबंध में रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया व जवाब में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को दिनांक 5.1.2023 को जमीन से बेदखल करने की धमकी व आवंटन होने की बात नहीं कही गई है जबकि सत्यता यह है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है जो आज दिनांक तक निर्विवाद चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कहे गए कथन मिथ्या है।

अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कहे गए कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पश्चात हमने यह पाया कि उक्त आवंटन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 08.07.1984 को पारित किया गया था तथा अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 9.3.2023 को प्रस्तुत की गई है। परंतु अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहीं पर भी यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं बताया गया है कि लगभग 40 वर्षों के विलंब के पश्चात उनके द्वारा किस आधार पर भारी मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। क्यों कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर निरंतर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है तो फिर रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन आदेश के इतने वर्षों बाद उन्हें दिनांक 15.1.2023 को बेदखल करने की धमकी किस आधार पर व क्यों दी गई। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मात्र साधारणतः कथन किया है कि उन्हें दिनांक 15.1.2023 को धमकी दी गई। इसका उनके द्वारा कोई समुचित कारण न्यायालय को नहीं बताया गया है। चूंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब के एक एक दिन का विवरण व कारण न्यायालय को अपील के माध्यम से बताना अनिवार्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बिना किसी स्पष्ट कारणों के अभाव के प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय है कि पक्षकार न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपना उपचार मांगे इसका दुरूपयोग नहीं करे। परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिसीमा नियमों का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट–1 रेवे0पेज 695 में कहा गया है कि किसी परिसीमा अवधि की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं की इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। विधि की अवधारणा तर्क संगत अवधि होनी चाहिए प्रार्थी द्वारा 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है।** प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है व प्रार्थी को उक्त आवंटन निर्णय की जानकारी इतनी लंबी अवधि पश्चात भी नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय हाजा पूर्ण रूप से सहमत हो सके। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किए गए है व केवल मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय बाबत उनकी ओर से मनगढत व जानबूझकर अंकित किए गए कारण प्रतीत होते है। जिनसे न्यायायल हाजा किसी प्रकार से उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीर के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

10. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.1984 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

02/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner